न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **15 / 2023** दायर दिनाँक **22.06.2023**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. बाला कंवर पत्नी हरिसिंह जाति राजपुत निवासी प्यावां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. हजारीराम पुत्र नाथुराम 2. हुक्माराम पुत्र नाथुराम 3. बद्रीप्रसाद पुत्र नाथुराम 4. प्रभुराम पुत्र नाथुराम 5. राजूराम पुत्र भागाराम 6. नरेश पुत्र भागाराम 7. गीता पत्नी भागाराम 8. नाबालीक किरण पुत्री भागाराम संरक्षक सरपरस्त माता गीता समस्त जाती मेघवाल निवासीगण प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 9. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौडा शाखा डीडवाना 10. शाखा प्रबंधक राज. मरू.ग्रा.बैंक शाखा खुनखुना 11. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.07.2025**

संक्षेप में प्रार्थीया की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 501 रकबा 1.9000 हैक्टे0 एवं खेत खसरा संख्या 396 रकबा 4.4100 है. मौजा प्यावां पटवार हल्का खरेश में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का अवस्थित है। प्रार्थीया के उक्त खेत खसरा नम्बर 501 में वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 500 रकबा 2.2400 है. में से नये कटा[illegible] लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251[illegible] उपधारा (1) [illegible] अन्त[illegible] रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज [illegible] रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– रीडर / 2025 / 56

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:05 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक 20.01.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खेत खसरा संख्या 501 रकबा 1.9000 है. सरहद डीडवाना में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 501 सरहद प्यावां में सब से नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 500 सरहद प्यावां में से लगता है। खसरा संख्या 500 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा संख्या 501 तक रास्ता नजरी नक्शा में चिन्हित बिन्दु ए से बी तक किया गया। जिसकी कुल लम्बाई 160 मीटर एवं चौडाई 7 मीटर क्षैत्रफल 0.1120 है. बनता है।

प्रकरण में पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार के खेत खसरा सं0 501 रकबा 1.9000 हैक्टे0 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक– रीडर/2025/56 दिनांक 20.01.2025 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक– रीडर/2025/56 दिनांक 20.01.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखंड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.07.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखंड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:05 IST
Reason: SelfAttested